



प्रेस नोट

थाना- पिलखुवा

दिनांक:- 08-01-2025

"~ संगठित गैंगस्टर अपराध के विरुद्ध हापुड़ पुलिस की कार्यवाही ~"

- थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक शातिर अपराधी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल सम्पत्ति 02 मोटरसाइकिल व एक कार (वैन्यू) (जिनकी वर्तमान कीमत करीब 5,24,000/- रुपये) को कुर्क किया गया।
- अभियुक्त वसीम शातिर किस्म का अपराधी है जिसके द्वारा अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु अवैध संसाधनों से धन अर्जित कर 02 मोटरसाइकिल व एक कार (वैन्यू) खरीदी गई थी, जिनके जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा थाना धौलाना के मु0अ0सं0 93/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से चल सम्पत्ति अर्जित की गई, 02 मोटरसाइकिल व एक कार (वैन्यू) (वर्तमान कीमत करीब 5,24,000/- रुपये) को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट हापुड़ के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता:-

वसीम पुत्र शमीम अली उर्फ शमीम अहमद निवासी म0नं0 102 मौ0 कानून गोयान थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।

जब्त/कुर्क की गई सम्पत्ति (वाहनों) का विवरण-

1. एक मोटरसाइकिल (बजाज डिस्कवर) रजि0 नं0- यूपी 37 5833।
2. एक मोटरसाइकिल सुपर स्पलेण्डर मो0सा0 रजि0 नं0- यूपी 37 एम 2801।
3. एक कार वैन्यू कार रिजि0 नं0- यूपी 37 पी 7402।

कुर्क करने वाली पुलिस टीम-

- 1-श्री रघुराज सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।
- 2-है0कां0 868 अरून कुमार थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।
- 3-है0कां0 117 नीतू थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

